



कार्यालय: प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र- (उ०प्र०)



☎ 05446-252020

PIN Code: 231217

Email:dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक- 2935/रेनुकूट/ 15- 38 दिनांक, रेनुकूट, 01-03-
सेवा में,

, 2021

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि० की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे० आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में ।

संदर्भ:- 1-अनु सचिव, उ०प्र० शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का पत्रांक- पी० 26/81-2-2021-79/1991 लखनऊ दिनांक- 22.02.2021
2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्र संख्या- 2128/11-सी- FP/UP/MIN/29061/2017 लखनऊ दिनांक- 23.02.2021

महोदय,
विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें । उ०प्र० शासन के संदर्भित पत्र दिनांक-22.02.2021 द्वारा माँगी गयी वांछित सूचना टेबुलर फार्म में निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र० सं०	अनु सचिव, उ०प्र० शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का पत्रांक-पी० 26/81-2-2021-79/1991 लखनऊ दिनांक-22.02.2021 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	भारत सरकार द्वारा की गई आपत्ति के बिन्दु संख्या-1 के अनुपालन में आपकी स्पष्ट आख्या /संस्तुति प्राप्त नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के नवीनीकरण हेतु प्रभाग द्वारा पूर्व में भी संस्तुति सहित रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रेषित की गयी है तथा पुनः संस्तुती की जाती है ।
2	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत भूमि से इतर वन भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के आधार पर नियमानुसार अन्य एजेंसियों को दिये जाने हेतु विधिमान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि से इतर वन भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के विपरीत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्य एजेंसियों को दिये जाने के विरुद्ध उल्लंघन का प्रकरण प्रभाग के पत्र संख्या- 4704/रेनुकूट/12 बैठक दिनांक- 10.06.2013 द्वारा वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर को संदर्भित किया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 6473/मीरजापुर/33 दिनांक- 29.06.2013 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को संदर्भित किया गया । मुख्य

	<p>वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ द्वारा भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 1571/11-सी-उल्लंघन दिनांक- 30.01.2014 व पत्र संख्या- 419/11-सी दिनांक- 20.08.2015 द्वारा प्रमुख सचिव(वन) उ०प्र० शासन वन अनुभाग-2 लखनऊ को संदर्भित किया गया है तथा प्रभाग में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रकरण उ०प्र० शासन स्तर पर विचाराधीन है । इस बिन्दु के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही उ०प्र० शासन स्तर से लिया जाना अपेक्षित है ।</p>
<p>3 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है, जिसके आलोक में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर व प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट की स्पष्ट संस्तुति/आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि, भारत सरकार/उ०प्र० सरकार द्वारा लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे० वन भूमि से <u>बिल्कुल अलग 18.2608 एकड़ वन भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विभिन्न एजेंसियों को लीज पर हस्तान्तरित की गयी जिसका प्रकरण बिन्दु संख्या-2 के अनुसार उ०प्र० शासन स्तर पर विचाराधीन है । उक्त उल्लंघन के जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु संस्तुति की जाती है ।</u></p>

भवदीय



(एम०पी०सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट